

मक्ष माननीय राजस्व मण्डल मोप्र० गवालियर

अपील प्रकरण क्रमांक

/2016 जवलपुर

नं 560 I-16
अपील

23

हरप्रसाद गोड पुत्र स्व श्री छोटेलाल गोड निवासी
मकान नं. 110, सिवनीटोला तहसील व जिला
जवलपुर म.प्र. ।अपीलार्थी

श्री मुख्यमंत्री का निवासी द्वारा आज दि. 16.2.16 को

प्रस्तुत

कलेक्टर का दि. 16
राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर ।
2. राकेश अवस्थी पुत्र श्री शिवरतन अवस्थी निवासी 1591 गंगानगर मण्डफैया गढ़ा वार्ड तहसील व जिला जवलपुर म.प्र. ।

.....प्रत्यार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर, जिला जवलपुर द्वारा प्रकरण क 427/अ-21/2013-2014 मे पारित आदेश दिनांक 19.10.2015 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू - राज्य संहिता 1959 की धारा 44 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :-


1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम मुकनवारा प०ह०न० 33 राठन०म० बरगी तहसील व जिला जवलपुर स्थिति भूमि खसरा नं. 136/1 रकवा कमशा. 0.450 हेक्टे. (1.11 एकड) अपीलार्थी की स्वयं की निजी कृषि भूमि है जो भूमि कम उपजाऊ है जिससे उसमे फसल पैदा नहीं हो पाती ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को विक्रय कर वह बच्चों की शिक्षा के लिये भूमि को विक्रय किये जाने की अनुमति चाही गई है जो विक्रय हेतु प्रयाप्त रूप से कारण है। इस हेतु प्रत्यर्थी से अनुबंध किया है ऐसी स्थिति मे उसे भूमि विक्रय की अनुमति दी जावे ।
3. यहकि, अपीलार्थी के पास उक्त भूमि विक्रय करने के बाद भी अपीलार्थी के पास 2.65 हेक्टे. भूमि शेष बचना बताया गया है। एवं ग्राम सिवनीटोला मे साढे छ: एकड सिंचित भूमि शेष बच रही है जिससे उसका जीवन यापन अच्छी तरह से हो सकता है।
4. यहकि, माननीय श्रीमान न्यायालय द्वारा भी कई प्रकरणों मे उक्त भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान की है इसलिये समान प्रकृति व समान नेचर का होने से उक्त भूमि विक्रय की अनुमति की आवश्यकता है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 560-एक / 16

जिला -जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.2.2016	<p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन द्वारा उपस्थित होकर टंकणी -त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्र०क० अपील 560-एक / 16 में पारित आदेश दिनांक 19.2.16 में पैरा-3 में कलेक्टर जबलपुर के स्थान पर कलेक्टर छतरपुर टंकण हो गया है। अतः कलेक्टर छतरपुर के स्थान पर कलेक्टर जबलपुर पढ़ा जावे।</p> <p>अतः अपीलार्थी अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा पैरा -3 में कलेक्टर छतरपुर के स्थान पर कलेक्टर जबलपुर पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग माना जावेगी।</p> <p style="text-align: right;"> सदाचार्य</p> <p></p>	